संख्या–3453 /सेक–2–पांच–11–6(68)/2009

प्रेषक,

मृत्युंजय कुमार नारायण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक :02 जुलाई, 2011

विषयः–मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (पुरूष/महिला/संयुक्त) के पदों पर तैनाती के संबंध में नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–3119/सेक–2–पांच–2011–6(68)/09, दिनांक 14.06.11 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पदों पर किसी चिकित्सक को निम्न नीति के अनुसार तैनात करने पर विचार किया जायेगाः–

(1) यदि किसी चिकित्सक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही गतिमान है, तो उसे मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका के पद पर तैनात नहीं किया जायेगा।

(2) किसी चिकित्सक को जिस वित्तीय वर्ष में परिनिन्दा/प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी हो, उस वित्तीय वर्ष के अतिरिक्त आगामी एक वित्तीय वर्ष के लिए उपर्युक्त पदों पर तैनाती हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

(3) जिन चिकित्सकों की वेतनवृद्धि स्थायी/अस्थायी रूप से रोकी गयी है तथा दण्ड स्वरूप संयुक्त निदेशक वेतनमान में कार्यरत वेतनमान के सापेक्ष निम्नतर प्रक्रम पर अवनत किया गया हो, ऐसे चिकित्सकों को जिस वित्तीय वर्ष में उक्त दण्डादेश पारित किया गया है, उससे अगले 05 वित्तीय वर्षों तक उक्त पदों पर तैनाती हेतु उपयुक्त नहीं माना जायेगा।

(4) लेवल–4 (संयुक्त निदेशक ग्रेड) में कार्यरत, यदि किसी चिकित्सक को किसी मामले में शासकीय धन के गबन/शासकीय क्षति के लिए दोषी पाया जाता है, तो उसे अगले 10 वर्षों तक प्रशासनिक पद पर तैनाती हेतु उपयुक्त नहीं माना जायेगा।

(5) जिन चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की तिथि 01वर्ष के अन्दर हो और पूर्व में उपर्युक्त प्रशासनिक पद पर कभी तैनात न रहे हों, उन्हें उपर्युक्त पदों पर तैनाती हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
सचिव।

संख्या-3453 (1)/सेक–2–पांच–11, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3– **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
उप सचिव।